# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटड़ी (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारीः— श्री भागीरथ शाख, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 265/2016 प्रा0पत्र अंतर्गत धारा 111, 128रा.भू.रा.अधि.1956

1. दुर्गा पिता छोटू बलाई उम्र व्याक निवासी पारोली
2. मूला पिता छोटू बलाई 35 व्याक निवासी पारोली तह कोटड़ी

— प्रार्थीगण

अनवान

1. कालू पिता भवाना बलाई नि० पारोली
2. देवी पिता भूरा बलाई नि० पारोली
3. भैरू S/o भवाना बलाई नि० पारोली
4. कालू S/o राजू धाकड़ नि० पारोली
5. गोपाल S/o राजू धाकड़ नि० पारोली
6. लादू S/o राजू धाकड़ नि० पारोली
7. मूला S/o रत्ना बलाई नि० —"
8. गोपाल S/o लादू तेली नि० "
9. हीरा माली नि० पारोली
10. गोपाल पुत्र नानूलाल माली नि० —"
11. मथरा S/o देवी बलाई नि० —"
12. कमाले ... नि० पारोली
13. मोहन S/o देवी बलाई नि० पारोली
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कोटड़ी

— विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111—128 रा.भू.रा.अधि.1956

## आदेश

दिनांक 11/02/2017

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111—128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत न्यायालय में दिनांक 7/9/2016 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पारोली तहसील कोटड़ी की नवीन खतौनी सं0 165 जमाबन्दी सम्वत् 70 से 73 तक कुल किता 7 रकबा 9-09 बीघा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खातें / संयुक्त खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को सम्मन जारी कियें गयें। सम्मन बाद तामील पत्रावली पर लियें गयें। विपक्षी बावजूद सूचना के अनुउपस्थित एवं किसी प्रकार का प्रतिरोध दर्ज नहीं करायं जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कियें जाने के आदेश प्रदत कियें जाते है एवं प्रकरण में सबंधित भू0अ0निरीक्षक पारोली को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर उभयपक्ष को सूचित करने के उपरांत पालना रिपोर्ट मार्फत तहसीलदार कोटडी के तलब की जावें।

## आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि तहसील कोटड़ी के वाके ग्राम पारोली प0म0 पारोली स्थित नवीन खतौनी संख्या 165 कृषि भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 तक (विवादित आराजी नम्बर) कुल किता 7 रकबा 9-09 बीघा पर पत्थरगढ़ी उभयपक्ष को सूचित किया जाकर बाद तिथि निर्धारण के पत्थरगढी की जावें। प्रार्थी इस कार्य के लिए कमीश्नर फीस तहसीलदार कोटडी के निर्देशानुसार राशि 500/- रूपये जमा करायेगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार कोटडी विधिवत पत्थरगढी के आदेश सबंधित भू0अ0नि0 को करेगें आराजी नं० 845/3, 854, 855, 1059, 1060, 1147/1, 1545/1 कुल किता 7 कुल रकबा 9 बीघा 9 बिस्वा की।

सहायक कलेक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
कोटड़ी जिला—भीलवाड़ा

प्रतिलिपि — तहसीलदार कोटड़ी को भेजकर लेख है कि आवदेक की राशि जमा होने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी कराकर सात योम में पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

सहायक कलेक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
कोटड़ी जिला—भीलवाड़ा